

नमनं वासुदेवाय नमनं ज्ञानराशये ।
नमनं प्रीतिकीर्तिभ्यां नमनं सर्वभूतये ॥

नमन

Naman

प्रो. वासुदेव सिंह स्मृति न्यास द्वारा प्रकाशित
यू.जी.सी. केयर की बहु-विषयी (Multidisciplinary)
सूची में सम्मिलित सान्दर्भिक अर्द्धवार्षिक शोध-पत्रिका
ISSN : 2229-5585

सम्पादक

डॉ. श्रद्धा सिंह
प्रोफेसर- हिन्दी विभाग
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी



डॉ. हिमांशु शेखर सिंह
सह आचार्य- हिन्दी विभाग
नेहरू ग्राम भारती मानित् विश्वविद्यालय
प्रयागराज


Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)

कोविड-१९ लॉकडाउन का दिहाड़ी मजदूरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

(छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के ग्रामीण-शहरी मजदूरों के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. एल. एस. गजपाल*, डॉ. उमेश वैद्य**, डॉ. कीर्ति विक्रम सिंह***

ABSTRACT : प्रस्तुत शोध पत्र कोविड-१९ वैश्विक महामारी के दौरान लगाए गये लॉकडाउन-१ तथा लॉकडाउन-२ की दैनिक मजदूरों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव से सम्बन्धित है। अध्ययन अनुभवजन्य तथ्यों पर आधारित है। अध्ययन हेतु १०० दैनिक मजदूरों (५० ग्रामीण तथा ५० शहरी) का चुनाव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रविधि के द्वारा किया गया है। अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले पर आधारित है। अध्ययन इस उद्देश्य पर आधारित रहा है कि लॉकडाउन का दिहाड़ी मजदूरों के पारिवारिक सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा है? कोरोना महामारी के प्रति मजदूरों में किस प्रकार की जागरूकता है? तथा कोरोना महामारी ने मजदूरों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित किया है। अध्ययन से प्राप्त तथ्य यह दर्शाता है कि अधिकांश मजदूरों के मन में कोरोना महामारी को लेकर डर है। यही कारण है कि ये सभी इससे बचने हेतु सुझाए गये उपायों- मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाकर रखने तथा उपलब्धता के आधार पर सेनेटाइजर का उपयोग करते हैं। लॉकडाउन ने दिहाड़ी मजदूरों की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अधिकांश मजदूरों को उनके नियोजक द्वारा लॉकडाउन-अवधि में कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं किया गया। लॉकडाउन अवधि में उनकी निर्भरता पूर्णतः सरकारी राशन दुकान से प्राप्त सहायता तथा स्थानीय पार्षद से प्राप्त सहायता पर रही है। लॉकडाउन ने पारिवारिक सम्बन्धों को भी प्रभावित किया है, जिसमें मुख्य रूप से परिवार के खर्च को लेकर तनाव बढ़ना तथा भविष्य की चिंता सताना मुख्य है। यदि लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव की चर्चा करें, तो यह ज्ञात हुआ है कि इस दौरान दिहाड़ी मजदूर भी तंगी के बीच गुजारा करना सीख गये तथा उन्हें अपने बच्चों से भवनात्मक रूप से ज्यादा प्रबलतापूर्वक जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ।

प्रस्तावना

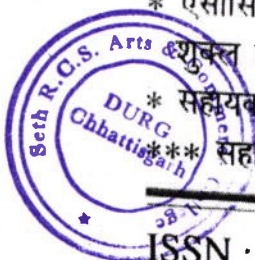
आज जब पूरा विश्व कोविड-१९ की समस्या से जूझ रहा है, जिसके कारण ७९४ लाख लोग इस रोग से प्रभावित हैं और लगभग १७ लाख लोगों की जान जा चुकी है, ऐसी स्थिति में इसका गहरा प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है तथा उत्तर कोविड-१९ में स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है। एक विकासशील देश के रूप में भारत के समक्ष भी अनेक आर्थिक चुनौतियाँ आ सकती हैं।

पूरी दुनिया की आबादी में लगभग २० प्रतिशत लोग मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। डब्ल्यू. एच. ओ. की नवीनतम रिपोर्ट भी यह बताती है कि कोविड-१९ के कारण पूरी दुनिया

* एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष- समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

* सहायक प्राध्यापक- सेठ आर. सी. एस. महाविद्यालय, दुर्ग

*** सहायक क्षेत्रीय निदेशक- इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ (उ.प्र.)



ISSN : 2229-5585

२११

नमन (अर्द्धवार्षिक) वर्ष १४ : अंक २३-२४

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)

के १६० करोड़ मजदूरों के समक्ष रोजगार और जीविकोपार्जन का संकट खड़ा हो चुका है। यह वह जनसंख्या है, जिनमें कोविड-१९ के तेजी से फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन्हें बीमारी से ज्यादा बेरोजगारी से डर लगता है। इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध-पत्र कोविड-१९ वैश्विक महामारी के दौरान लगाए गये लॉकडाउन-१ तथा लॉकडाउन-२ का दैनिक मजदूरों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव से सम्बन्धित है।

पूर्व में किये गये शोध-अध्ययन की समीक्षा- वैश्विक स्तर पर अनेक शोध-अध्ययन प्लेग, हैजा, इबोला, जीका वायरस तथा सार्स जैसी महामारी के सन्दर्भ में किए गये हैं।

एस. इरुदया राजन, सेण्टर फार डेवेलपमेण्ट स्टडी, तिरुवनंतपुरम (२०२०) ने कोविड-१९ के कारण प्रवासी श्रमिकों के अचानक हुए विस्थापन को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक बताया है। उनका मानना है कि प्रतिवर्ष लगभग ९० लाख श्रमिक रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं, जिसमें वे लगभग तीन हजार से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। प्रवासी श्रमिकों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के श्रमिकों की अधिकता होती है। उनका मत है कि लॉकडाउन होने से श्रमिकों की गतिशीलता रुक गई है। इसका सीधा प्रभाव उन राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो इन प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर हैं। प्रवासी श्रमिकों के मूल निवास लौट जाने पर हमारे समक्ष अर्थव्यवस्था को गति देने की चुनौती होगी, क्योंकि अनेक कष्टों को सहकर जो श्रमिक अपने गृह राज्य लौटे हैं, उन्हें वापिस बुलाना कठिन होगा। ऐसे में; हमें किसी नयी कार्य-योजना पर विचार करना होगा, क्योंकि ये अकुशल श्रमिक उन कार्यों को करते हैं, जिसे 'वर्क फ्रॉम होम' से पूरा नहीं किया जा सकता।

आगे उन्होंने यह भी कहा है कि श्रमिकों के लौटने से पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों की कृषि-अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि श्रमिकों के अभाव में मशीन से ही सभी कृषि-कार्य सम्भव नहीं हैं। ऐसे में; अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हमें इस बात पर गहराई से विचार करना होगा कि किस प्रकार प्रवासी मजदूरों की गतिशीलता बनी रहे, विशेषकर अल्पकालीन प्रवास के सन्दर्भ में।

इन्द्रम चक्रबोर्ती एण्ड प्रसेनजीत मैत्रीय (२०२०) द्वारा 'कोविड-१९ : आउटब्रेक माइग्रेशन, इफेक्ट ऑन सोसायटी, ग्लोबल इनवायरमेंट एण्ड प्रिवेन्सन' शोध-पत्र में कोविड-१९ की उत्पत्ति के स्रोत तथा इसके विश्व के २०० देशों तक फैलने का विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा कोविड-१९ का वैश्विक अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में वे लोगों की जान बचाने के लिए शारीरिक दूरी तथा उत्सव में लोगों की भीड़ रोकने की बात करते हैं तथा प्रवासी मजदूरों के रोजगार छिन जाने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता के विकल्प तलाशने की बात करते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

१. अध्ययन द्वारा दिहाड़ी मजदूरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना।
२. कोरोना महामारी का दिहाड़ी मजदूरों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का अध्ययन करना।
३. कोरोना महामारी के प्रति उत्तरदाताओं में जागरूकता का अध्ययन करना।
४. कोविड-१९ के कारण हुए लॉकडाउन का मजदूरों पर पड़े मनोसामाजिक प्रभाव को ज्ञात करना।

अध्ययन-पद्धति- प्रस्तुत शोध-पत्र विवरणात्मक शोध-प्ररचना पर आधारित है। अध्ययन हेतु



छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले का चुनाव अध्ययन हेतु किया गया है। अध्ययन हेतु कुल १०० उत्तरदाताओं का चुनाव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन-प्रविधि के द्वारा किया गया है, जिसमें ५० ग्रामीण तथा ५० शहरी दिहाड़ी मजदूरों का चुनाव किया गया है। अध्ययन दुर्ग शहर के बोरसी सुपेला भिलाई शहरी क्षेत्र तथा कोलिहापुरी गाँव के मजदूरों पर केन्द्रित रहा है। शोध-अध्ययन में तथ्यों के संकलन हेतु अध्ययन के उद्देश्य पर आधारित संरचित साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से किया गया है। संकलित तथ्यों की प्रामाणिकता हेतु एकता अध्ययन भी किया गया है।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष- अध्ययन में दिहाड़ी मजदूरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सम्बन्धित प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक ७६ प्रतिशत मजदूर २० से ४० आयु वर्ग के हैं। केवल ६ प्रतिशत उत्तरदाता ही ५० वर्ष से अधिक आयु के हैं। उत्तरदाताओं में शिक्षा का स्तर इनके व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि ५८ प्रतिशत मजदूरों ने हाईस्कूल से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है। यह तथ्य शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति को भी दर्शाता है। समूह के केवल १३ प्रतिशत उत्तरदाता ही निरक्षर हैं। उत्तरदाताओं में ७० प्रतिशत दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिसमें ठेका श्रमिक, कारपेंटर, राजमिस्त्री, रेजा-कूली का काम करते हैं, जबकि ३० प्रतिशत कारखाने में अथवा राइस मिल में काम करते हैं। उत्तरदाताओं में ७६ प्रतिशत पुरुष तथा २४ प्रतिशत महिलाएँ हैं। उत्तरदाताओं में सर्वाधिक ४९ प्रतिशत पिछड़ा वर्ग से, ३६ प्रतिशत अनुसूचित जाति से, ०९ प्रतिशत सामान्य वर्ग से तथा ०६ प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं।

उत्तरदाताओं में ७६ प्रतिशत विवाहित, २१ प्रतिशत अविवाहित तथा ०३ प्रतिशत विधवा हैं। बहुसंख्यक ७४ प्रतिशत मजदूर गरीबी रेखा के नीचे (Below Poverty Line) आते हैं, जिनकी मासिक आय ६०००.०० रुपये से कम है। २६ प्रतिशत उत्तरदाता, जो कारखाना अथवा राइस मिल में कार्य करते हैं, उनकी मासिक आय ६०००.०० रुपये मासिक से अधिक है।

पारिवारिक विवरण सम्बन्धित तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ है कि ५२ प्रतिशत मजदूरों के परिवार में ०५ से अधिक सदस्य हैं, जो कि यह दर्शाता है कि दिहाड़ी मजदूरों के परिवार में सदस्यों की अधिकता इनके निम्न आर्थिक स्थिति का मुख्य कारण हो सकता है। ४८ प्रतिशत परिवार में ०४ से कम सदस्य हैं। पारिवारिक सदस्यों में विवाहितों की संख्या अविवाहितों से अधिक है। अध्ययनगत मजदूरों के परिवार में अध्ययनरत बच्चों की संख्या कम है, जो कि यह दर्शाता है कि इनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है।

तालिका क्रमांक-१

कोरोना महामारी की जानकारी का स्रोत

क्र.	जानकारी का स्रोत	हाँ	नहीं	योग
१.	टी.वी.	९४	०६	१००
२.	समाचार-पत्र	०२	९८	१००
३.	व्हाट्सअप	०३	९७	१००
४.	पड़ोसी	०१	९९	१००

कोरोना महामारी की जानकारी के स्रोत के विषय में यह ज्ञात हुआ है कि अधिकांश ९४ प्रतिशत को इसकी जानकारी टी.वी. से प्राप्त हुई है, जबकि शेष ०६ प्रतिशत को समाचार-



ISSN : 2229-5585

२१३

नमन (अर्द्धवार्षिक) वर्ष १४ : अंक २३-२४

Seth R.C.S. Arts & Comm. College Durg (C.G.)

पत्र, पड़ोसी तथा व्हाट्सअप से प्राप्त हुई है। कोरोना महामारी की जानकारी होने पर अधिकांश ७९ प्रतिशत उत्तरदाताओं के मन में डर/भय का विचार आया।

तालिका क्रमांक- २

कोरोना महामारी से बचने के लिए किए गये उपाय

क्र.	किए गये उपाय	हाँ	नहीं	योग
१.	बाहर निकलने पर माक्स लगाना	१००	-	१००
२.	साबुन से नियमित हाथ धोना	१००	-	१००
३.	सेनेटाइजर का उपयोग करना	३७	६३	१००
४.	बाहर से आने पर स्नान करना	९७	०३	१००
५.	बाहर से आने पर कपड़े धोना	९७	०३	१००

कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता सम्बन्धी तथ्यों से यह ज्ञात हुआ है कि केवल ३० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे एक वायरस बतलाया है, जबकि २७ प्रतिशत ने महामारी तथा ४८ प्रतिशत ने एक बीमारी बतलाया है।

कोरोना से बचाव हेतु किए जाने वाले प्रयत्नों के विषय में शत-प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नियमित साबुन से हाथ धोना बतलाया है तथा घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करने की जानकारी दिया है। लेकिन सेनेटाइजर पॉकेट में रखने या उसका उपयोग करने के विषय में ६३ प्रतिशत दिहाड़ी मजदूर सेनेटाइजर का उपयोग नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि निवास क्षेत्र के आस-पास की दुकानों में सेनेटाइजर उपलब्ध नहीं है, जबकि कुछ उत्तरदाताओं का ऐसा मानना है कि उनके पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। केवल ३७ प्रतिशत उत्तरदाता, जो शहरी क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्होंने सेनेटाइजर का प्रयोग करने की जानकारी दिया है।

घर से बाहर आवश्यक काम से निकलने के बाद वापिस घर आने पर नहाने तथा कपड़े धोने के विषय में ९७ प्रतिशत दिहाड़ी मजदूरों ने सकारात्मक जानकारी दिया है। उनका मानना है कि कोरोना वायरस को लेकर जिस प्रकार से टी.वी. पर खबरें दिखाई जा रही हैं, उससे बचने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूकता सम्बन्धी विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि दिहाड़ी मजदूर भी कोविड-१९ वैश्विक महामारी के प्रति जागरूक हैं और इससे बचने के हर सम्भव प्रयास वे कर रहे हैं। शोधार्थी का यह मानना है कि सामाजिक जागरूकता लाने में मीडिया की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि लॉकडाउन अवधि में सभी नियमित रूप से प्रतिदिन ५-७ घण्टे टी.वी. देखते थे, जिससे उन्हें कोरोना महामारी के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सकी है।

तालिका क्रमांक- ३ : लॉकडाउन अवधि में प्राप्त सहायता

क्र.	प्राप्त सहायता का माध्यम/स्रोत	हाँ आ./प्र.	नहीं आ./प्र.	योग आ./प्र.
१.	नियोजक से प्राप्त सहायता	०८ (०८)	९२ (९२)	१०० (१००)
२.	सरकारी राशन दुकान से प्राप्त सहायता	८९ (८९)	११ (११)	१०० (१००)
३.	वार्ड-पार्षद से प्राप्त सहायता	२७ (२७)	७३ (७३)	१०० (१००)



लॉकडाउन का दिहाड़ी मजदूरों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव सम्बन्धित विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि लॉकडाउन होने पर शत-प्रतिशत मजदूरों का काम बंद हो गया। ऐसी स्थिति में उन्हें उनके नियोजक (मालिक/दुकानदार/मैनेजर/गृहस्वामी) के द्वारा लॉकडाउन-अवधि में सहायता प्रदान करने के विषय में यह ज्ञात हुआ है कि ९२ प्रतिशत दिहाड़ी मजदूरों को उनके नियोजकों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। केवल ८ प्रतिशत मजदूरों को सहायता प्राप्त हुई है, वह भी लॉकडाउन के प्रथम चरण में प्राप्त सहायता के स्वरूप में कुछ मजदूरों को १५-१५ दिन का राशन नियोजक द्वारा दिया गया तथा कुछ मजदूरों को पैसा दिया गया। स्पष्ट है कि बहुसंख्यक दिहाड़ी मजदूरों के समक्ष लॉकडाउन-अवधि में गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति रही है। लॉकडाउन के दौरान निर्धनों को प्राप्त होने वाली सरकारी सहायता में ८९ प्रतिशत मजदूरों को सरकारी राशन दुकान (PDS) से चावल, गेहूँ, शक्कर तथा दाल प्रदान किया गया है, जबकि ११ प्रतिशत मजदूरों को सरकारी राशन प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण इनका राशन कार्ड नहीं बनना रहा है। लॉकडाउन अवधि में आर्थिक तंगी से निपटने हेतु ऋण (उधार) लेने के विषय में ४७ प्रतिशत दिहाड़ी मजदूरों ने उधार लेकर अपना गुजारा चलाया है, जबकि ५३ प्रतिशत उत्तरदाताओं को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी।

तालिका क्रमांक-४

लॉकडाउन अवधि में आर्थिक तंगी से बचने हेतु किए गये उपाय

क्र.	उपाय	हाँ (प्रतिशत)	नहीं (प्रतिशत)	योग (प्रतिशत)
१.	उधार लेकर गुजारा करना	४७	५३	१००
२.	घरेलू सामान गिरवी रखकर गुजारा करना	१५	८५	१००

लॉकडाउन-अवधि में आर्थिक तंगी के कारण घरेलू सामान को गिरवी रखने सम्बन्धित विवरण से यह ज्ञात हुआ है कि १५ प्रतिशत दिहाड़ी मजदूरों ने अपने घरेलू सामान गिरवी रखे हैं, जिसमें पंखा, कूलर, बर्तन शामिल हैं। इससे स्पष्ट है कि लॉकडाउन-अवधि में दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति ज्यादा चिंताजनक रही है।

कोरोना महामारी का सामाजिक सम्बन्धों पर प्रभाव- कोरोना महामारी से बचने के लिए जो सुझाव सबसे ज्यादा प्रचारित किया गया, उसमें सामाजिक दूरी (Social Distancing) 'दो गज की दूरी' का पालन सबसे ज्यादा उचित होगा, क्योंकि संकटकाल में सामाजिक निकटता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन कोरोना महामारी ने, वास्तव में; लोगों के बीच सामाजिक दूरी को बढ़ाया है, जैसे- रिश्तेदारों के घर पर उत्सव/धार्मिक कार्य/गर्मी होने पर भी लोग शहर/गाँव में रहते हुए भी दूरी बनाना पसंद करते हैं। इसी प्रकार, पड़ोस की भावना भी कमजोर हुई है। इस विषय में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण निम्नानुसार है-

तालिका क्रमांक-५

कोरोना महामारी का सामाजिक सम्बन्धों पर प्रभाव

क्र.	सम्बन्धों पर प्रभाव का स्वरूप	हाँ	नहीं	योग
१.	रिश्तेदारों से दूरी बढ़ना	८६	१४	१००
	उत्सव/शोक के कार्यक्रमों में जा पाने में असमर्थता	८९	११	१००



ISSN: 2229-5585

२१५

नमन (अर्द्धवार्षिक) वर्ष १४ : अंक २३-२४

Principal

Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)

३.	पास-पड़ोस आना-जाना बंद होना	८३	१७	१००
४.	दूसरे लोगों का दिया भोजन नहीं खाना	८४	१६	१००
५.	घर के बाहर जल-पान नहीं करना	९६	०४	१००

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोरोना महामारी के दौरान किए गये लॉकडाउन का सामाजिक सम्बन्धों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बहुसंख्यक दिहाड़ी मजदूर यह मानते हैं कि लॉकडाउन होने से उनकी वास्तविक सामाजिक दूरी अपने रिश्तेदारों से बढ़ी है, क्योंकि लॉकडाउन के साथ-साथ कोरोना वायरस फैलने के डर के कारण वे न तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा पाये और न ही गाँव/शहर के निकटतम सम्बन्धी के यहाँ होने वाले उत्सव/शोक कार्यक्रम में शामिल हो पाये। कोरोना वायरस के फैलने का भय इतना व्याप्त है कि अधिकांश मजदूर अपने पास-पड़ोस में जाना बंद कर दिए हैं तथा न तो वे बाहर जल-पान करते हैं और न ही दूसरों के द्वारा भोजन या अन्य खाद्य वस्तुएँ देते हैं, तो उसे स्वीकार नहीं पाते। विशेष रूप से लॉकडाउन में इन सभी बातों को लेकर बेहद सचेत रहे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी ने, वास्तव में, सामाजिक दूरी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

लॉकडाउन का पारिवारिक सम्बन्धों पर प्रभाव— कोरोना महामारी के प्रभाव को तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए पूरे देश में २३ मार्च को लॉकडाउन-१ की घोषणा की गयी, जो कि क्रमशः बढ़ते हुए लॉकडाउन-२ तथा लॉकडाउन-३ तक गयी। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के आवागमन, दुकान, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सैलून, क्लब, जिम, गार्डन पर प्रतिबंध था। परिणामतः दिहाड़ी मजदूरों को भी अपनी जिन्दगी सामान्य होने तक के लिए, लॉकडाउन-३ के पश्चात् अनलॉक-१ तक, घर में रहना पड़ा। घर में रहने के कारण पारिवारिक सम्बन्धों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, इसे अध्ययन के माध्यम से ज्ञात किया गया है।

तालिका क्रमांक-६ : लॉकडाउन का पारिवारिक सम्बन्धों पर प्रभाव

क्र.	सम्बन्धों पर प्रभाव	हाँ	नहीं	योग
१.	परिवार में रोजगार को लेकर झगड़ा/तनाव होना	३३	६७	१००
२.	पैसे को लेकर वाद-विवाद होना	२२	७८	१००
३.	पारिवारिक सदस्य के बीमार होने पर इलाज को लेकर तनाव होना	४१	५९	१००
४.	भविष्य की चिंता को लेकर वाद-विवाद होना	८१	१९	१००
५.	मुखिया पर घरेलू खर्च हेतु दबाव बढ़ना	४४	५६	१००

लॉकडाउन का पारिवारिक सम्बन्धों पर प्रभाव सम्बन्धित उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि बहुसंख्यक दिहाड़ी मजदूरों के परिवार में स्वयं के रोजगार के भविष्य को लेकर चिंता रही है। लॉकडाउन के दौरान उन्हें लगता था कि आगे क्या होगा? बीमारी कहीं ज्यादा फैल जाएगी, तो उनका गुजारा कैसे चलेगा— इस बात को लेकर चिंता अधिक रही है। इसी प्रकार, परिवार के मुखिया पर घरेलू खर्च की व्यवस्था को लेकर दबाव अधिक रहा है। ४१ प्रतिशत मजदूरों ने यह बताया है कि लॉकडाउन अवधि में पारिवारिक सदस्य के बीमार होने पर उसे इलाज के लिए ले जाने तथा उस पर होने वाले खर्च को लेकर मानसिक तनाव बना रहा। लगभग एक



तिहाई परिवारों में रोजगार को लेकर घर में झगड़ा या तनाव बना रहता था, जबकि २२ प्रतिशत मजदूरों ने यह बतलाया कि लॉकडाउन अवधि में पैसे को लेकर वाद-विवाद बना रहा। पैसे से आशय घर-खर्च हेतु पैसे कहाँ से आएँगे- इसे लेकर है। स्पष्ट है कि लॉकडाउन ने दिहाड़ी मजदूरों के पारिवारिक सम्बन्धों को प्रभावित किया है।

निष्कर्ष- कोरोना वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने हेतु लगाए गये लॉकडाउन का दिहाड़ी मजदूरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। अध्ययन से प्राप्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर मजदूर-वर्ग भी बेहद जागरूक रहा है और इससे बचने के सभी उपायों को दिहाड़ी मजदूर भी अपना रहे हैं। बहुसंख्यक मजदूरों को लॉकडाउन-अवधि के दौरान अपने नियोजकों (मालिक/सुपरवायजर/ठेकेदार) से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हुई है, जबकि बहुसंख्यक मजदूरों को राज्य शासन द्वारा प्राप्त निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त हुआ है, जो उनके जीविकोपार्जन का आधार बना। आंशिक रूप से यह पाया गया है कि अपने अर्थोपार्जन के लिए कुछ मजदूरों ने उधार लिया है, तो कुछ ने अपने घरेलू सामान गिरवी रखे हैं। लॉकडाउन ने दिहाड़ी मजदूरों के सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्धों को प्रभावित किया है, जिसमें रिश्तेदारों से सामाजिक दूरी बढ़ना, उत्सव/शोक के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना, परिवार में भविष्य को लेकर चिंता, पैसे की व्यवस्था को लेकर वाद-विवाद जैसे प्रभाव मुख्य हैं।

सन्दर्भ-सूची

- एस. इरूदया राजन, (२०२०): सेण्टर फार डेवलपमेण्ट स्टडी, तिरुवनंतपुरम।
- इन्द्रम चक्रबोर्ती एण्ड प्रसेनजीत मैत्रीय (२०२०): कोविड-१९ आउटब्रेक माइग्रेशन, इफेक्ट ऑन सोसायटी, ग्लोबल इनवायरमेंट एण्ड प्रिवेन्सन, एल्सवेयर जर्नल, वाल्यूम ७२८, अगस्त (२०२०)।
- मरिना निकोला, जैद अल्सफी एण्ड एट.एल. (२०२०): इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जरी, द सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ द कोरोना वायरस कोविड-१९ पेंडेमिक : ए रिव्यू।
- लॉयडिया और रॉस (२०२०) द पॉलिटिक्स ऑफ डीसीस इपेडिमिक्स : ए कम्पेटिटिव एनालिसिस ऑफ सार्स, जीका एण्ड इबोला आउटब्रेक्स ग्लोबल सोशियल वेलफेयर, वाल्यूम -७, पेज ३३-४५ (२०२०)।
- अमीरा वाय एण्ड सिमादा, टी. (२०१४): इपिलोमोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ इबोला वायरस डीसीस इन वेस्ट अफ्रीका , वायरस, ६५(१), ४७-५४।
- ड्राइ एण्ड लीच, एम. (२०१०) इपिडेमिक नेरेटिव, साइंस गवर्नेस एण्ड सोशियल जस्टिस, लंदन, वाशिंगटन, राउटलेज।
- बोनेक्स एण्ड वेन डामे (२०१०) प्रिवेटिंग हिट्रोजेनिक ऑफ पेनिक डू इट इन ए नाइस वे, कीएमजे गूगल स्कॉलर
- अली, एस. एच. एण्ड केल, आर. (२००८) : रेसिज्म इज ए वेपन ऑफ मॉस डस्ट्रिक्स : सार्स एण्ड द सोशियल फेब्रिक ऑफ अरबन मल्टीकल्चरलिज्म विले ब्लेकबेल। गूगल स्कॉलर
- जेकब, एल. ए. (२००७): राइट्स एण्ड क्वारेंटिन ड्यूरिंग द सार्स ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस : डिफरेंसिएटेड लीगल कॉन्सिडरनेस इन हॉंग कॉंग, सिंगई एण्ड टोरंटो, लॉ एण्ड सोसाइटी रिव्यू



ISSN 2229-5585

२१७

नमन (अर्द्धवार्षिक) वर्ष १४ : अंक २३-२४

Principal

Seth R.C.S. Arts & Commerce College Durg (C.G.)